उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

06/8/25 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष बास्ते आदेश हेतु पेश की गई। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। तथा बहस कबुलान पर मनन किया गया। वादी का वाद-पत्र पत्र मुताबिक प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न० :– 143/2022
दायर दिनांक :– 28.06.2022
निर्णय दिनांक :– 06/8/2025

उनवान

1. राजकुमार पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी बहरोड तहसील बहरोड़।

बनाम

1. मिसरी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ हाल पत्नी सरदार सिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। ....मृतक

1/1 सत्यपाल पुत्र सरदारसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

1/2 सन्तोष पुत्री सरदारसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

2. अमरसिंह माता रेशमी देवी पत्नी दयाराम जाति अहीर निवासी सरबिन्दपूरा तहसील बहरोड़।
3. संतोष पुत्री दयाराम जाति अहीर,
4. विजय पुत्र अशोक पौत्र दयाराम जाति अहीर,
5. एकता पुत्री अशोक पौत्री दयाराम जाति अहीर,
6. अन्जू पुत्री अशोक पौत्री दयाराम जाति अहीर,
7. बिमला देवी पत्नी अशोक पुत्र वधु दयाराम जाति अहीर, निवासी सरबिन्दपुरा तहसील बहरोड जायज वारिसान प्रतिवादी सं02 लगायत 6 मृतक रेशमी पुत्री श्योदयाल जाति अहीर निवासी हमीन्दपूर तहसील बहरोड़।
8. उप पजीयक, बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़, जिला–कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

......प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. काश्तकारी अधि. डिक्री विभाजन कृषि भूमि एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी</u>

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता प्रतिवादी।
3. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश की गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा द्वारा वर्तमान वाद में आराजी खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.22 वाके ग्राम हमीन्दपुर तहसील बहरोड बाबत दिनांक 22.04.2025 को प्रारभिक डिक्री पारित की गयी। उक्त डिक्री की

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

पालना में अमला माल द्वारा पक्षकारान की मोजूदगी में कुर्रेजात कायम कर रिपोर्ट कुर्रेजात इस न्यायालय को उपलब्ध करायी गई है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकारो द्वारा वाद पत्र को मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किये जाने बबात् अपनी सहमति दी गई। वाद पत्र में मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात निम्न प्रकार से अंतिम निर्णय किया जाकर विवादित आराजी को निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है :–

–: अंतिम आदेश :–

वादी का वाद पत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

1. आराजी खसरा नम्बर 1836/2 रकबा 0.0978 हैक्टेयर वाके ग्रम हमींदपुर तहसील बहरोंड में राजकुमार पुत्र बाबूलाल जाति अहीर (यादव) सा0 बहरोड़ खातेदार काश्तकार रहेगा।
2. आराजी खसरा नम्बर 1836/1 रकबा 0.0122 हैक्टेयर वाके ग्रम हमींदपुर तहसील बहरोंड के प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 07 खातेदार काश्तकार रहेगा।
3. आराजी खसरा नम्बर 1836/3 रकबा 0.1100 हैक्टैयर वाके ग्रम हमींदपुर तहसील बहरोंड में प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1/1 व 1/2 खातेदार काश्तकार रहेगे।

इसी कदर हाल भू–अभिलेख को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी करे।

आज दिनांक 06/8/25 को यह निर्णय मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न० :– 143 / 2022
दायर दिनाक :– 28.06.2022
निर्णय दिनाक :– 06/8/25

उनवान

1. राजकुमार पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी बहरोड तहसील बहरोड।

बनाम

1. मिसरी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसील बहरोड हाल पत्नी सरदार सिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। ....मृतक

1/1 सत्यपाल पुत्र सरदारसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

1/2 सन्तोष पुत्री सरदारसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

2. अमरसिंह माता रेशमी देवी पत्नी दयाराम जाति अहीर निवासी सरबिन्दपूरा तहसील बहरोड़।
3. संतोष पुत्री दयाराम जाति अहीर,
4. विजय पुत्र अशोक पौत्र दयाराम जाति अहीर,
5. एकता पुत्री अशोक पौत्री दयाराम जाति अहीर,
6. अन्जू पुत्री अशोक पौत्री दयाराम जाति अहीर,
7. बिमला देवी पत्नी अशोक पुत्र वधु दयाराम जाति अहीर, निवासी सरबिन्दपुरा तहसील बहरोड जायज वारिसान प्रतिवादी सं02 लगायत 6 मृतक रेशमी पुत्री श्योदयाल जाति अहीर निवासी हमीन्दपूर तहसील बहरोड़।
8. उप पंजीयक, बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़, जिला–कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

......प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. काश्तकारी अधि.
डिक्री विभाजन कृषि भूमि एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता प्रतिवादी।
3. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

-: अंतिम पर्चा डिक्री :-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश की गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद पत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

1. आराजी खसरा नम्बर 1836/2 रकबा 0.0978 हैक्टेयर वाके ग्रम हमींदपुर तहसील बहरोड में राजकुमार पुत्र बाबूलाल जाति अहीर (यादव) सा0 बहरोड़ खातेदार काश्तकार रहेगा।
2. आराजी खसरा नम्बर 1836/1 रकबा 0.0122 हैक्टेयर वाके ग्रम हमींदपुर तहसील बहरोड के प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 07 खातेदार काश्तकार रहेगा।
3. आराजी खसरा नम्बर 1836/3 रकबा 0.1100 हैक्टैयर वाके ग्रम हमींदपुर तहसील बहरोड में प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1/1 व 1/2 खातेदार काश्तकार रहेगे।

इसी कदर हाल भू-अभिलेख को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक .... को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

राजकिशोर मीना–II)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

बहरोड़ (उपखण्ड अधिकारी बहरोड)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न० :– 143/2022
दायर दिनांक :– 28.06.2022
निर्णय दिनांक :– 22.04.2025

उनवान

1. राजकुमार पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी बहरोड तहसील बहरोड़।

बनाम

1. मिसरी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ हाल पत्नी सरदार सिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा तह0 मुण्डावर।
2. अमरसिंह माता रेशमी देवी पत्नी दयाराम जाति अहीर निवासी सरबिन्दपूरा तहसील बहरोड़।
3. संतोष पुत्री दयाराम जाति अहीर,
4. विजय पुत्र अशोक पौत्र दयाराम जाति अहीर,
5. एकता पुत्री अशोक पौत्री दयाराम जाति अहीर,
6. अन्जू पुत्री अशोक पौत्री दयाराम जाति अहीर,
7. बिमला देवी पत्नी अशोक पुत्र वधु दयाराम जाति अहीर, निवासी सरबिन्दपुरा तहसील बहरोड जायज वारिसान प्रतिवादी सं02 लगायत 6 मृतक रेशमी पुत्री श्योदयाल जाति अहीर निवासी हमीन्दपूर तहसील बहरोड।
8. उप पंजीयक, बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़, जिला–कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

......प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. काश्तकारी अधि.
डिक्री विभाजन कृषि भूमि एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता प्रतिवादी।
3. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश की गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुक्षम वृतांत इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1836 रकबा 22 ऐयर वाके ग्राम हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ में स्थित है। जिसे वाद पत्र के आगामी सभी पदो में विवादित आराजी से सम्बोधित किया जा रहा है। विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी स0 01 लगायत 6 की सयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी की आराजी बिना बटी हुयी कृषि भूमि है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड के 4/9 भाग का वादी व 1/2 भाग की प्रतिवादी संख्या 1 व 1/18 भाग की रेशमी देवी पुत्री श्योदयाल तथा रेशमी पुत्री श्योदयाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी सं. 02 लगायत 6 है जो मुताबिक हक व हिससे के 1/18 भाग पर काबिज है। अब दिनांक 25.6.2022 को मन वादी विवादित भूमि आराजी में अपने सयुंक्त कब्जा काश्त खातेदारी के हक व हिस्से पर सार सम्भाल कर रहा था तो प्रतिवादी स0 1लगायत 6 मौके पर आये तथा आते ही मन वादी को बेदखल कर अच्छी से अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा फिसाद हुऐ तो वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 को ऐसा नही करने एवं विधिवत रूप से विभाजन करवाने के लिए कहाँ तो प्रतिवादी सं1 लगायत 6 साफ इन्कार हो गये

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

और सरेआम धमकी दी की अच्छी से अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण कार्यकरके रहेगे और कहा की अच्छी से अच्छी आराजी बताकरदिगर लोगो को बेचान व मुन्तकिल करके रहेगे और कहाँ की मुन्तकिली दस्तावेज को तस्दीक व पंजिबद्व करवाने व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने की बातचीत भी उप पंजीयक व तहसीलदार सहाब से कर ली है। और मन वादी को बेदखल करने व अच्छी से अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा फिसाद हुऐ तो मन वादी ने हल्ला किया तो आस पास के काफी व्यक्ति मौके पर पहुँचकर मन वादी को बचाया वरना कोई संगीन वारदात हो सकती थी। इसलिए दावा किया जाना लाजिम आया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री विभाजन कृषि भूमि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमायी जावे की आराजी ख.नम्बर हाल 1836 रकबा 22 ऐयर वाके ग्राम हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ में स्थित है। जो वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की बिना बटी हुयी कृषि भूमि है जिसमें वादी का 4/9 भाग है तथा 1/2 भाग प्रतिवादी सं0 1 का 1/18 भाग प्रतिवादी सं0 2 लगायत 6 की बुजुर्ग रेशमी देवी पुत्री श्योदयाल का है जो रेशमी देवी का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी सं0 2 लगायत 6 है। जो उक्त आराजी का विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर अच्छी में से अच्छी एवं बूरी में से बूरी में वादी के 4/9 भाग का अलग से बठा नम्बर डालकर अलग से कुरेजात कायम किया जाकर अलग से नक्शा टेस में तित्मा काटा जाकर अलग से खाताबन्दी की जावे। तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे।

हमारे द्वारा वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। नोटिस की पालना में प्रतिवादीण उपस्थित आये तथा जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा को शामिल मिसल किया गया।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। वादीगण विवादित आराजी को तकसीम करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी में सहखातेदार दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणो द्वारा वाद पत्र को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने बाबत अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये तथा वादीगण नियमानुसार अपने हिस्से को तकसीम करवाने के अधिकारी है। जिस सूरत में हम विवादीत आराजी को उनके सह हिस्सेदारो के अनुसार तकसीम किया जाना उचित समझते है।

–: प्रारभिक आदेश :–

अत वादी का वाद पत्र प्रारभिक रूप से डिक्री किया जाता है। आराजी हाल आराजी खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.22 वाके ग्राम हमीन्दपुर तहसील बहरोड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से उपरोक्त आराजी को तकसीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वह सह खातेदारो के हिस्सा अनुसार आराजी को तकसीम कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करे तथा राजस्थान टिनेंसी नियमो के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ मौके पर जाकर विवादित आराजी का कुर्रे कायम कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में आगामी दिनांक 17.06.2025 से पूर्व प्रस्तुत करे। तहसीलदार बहरोड को पालना हेतु आदेश जारी हो। इसी कदर प्राथमिक डिक्री जारी करे।

आज दिनांक 22.04.2025 को यह प्रारभिक निर्णय मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी	:– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न०	:– 143 / 2022
दायर दिनांक	:– 28.06.2022
निर्णय दिनांक	:– 22.04.2025

उनवान

1. राजकुमार पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी बहरोड तहसील बहरोड़। वादी

बनाम

1. मिसरी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी हमीन्दपुर तहसील बहरोड़ हाल पत्नी सरदार सिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा तह0 मुण्डावर।
2. अमरसिंह माता रेशमी देवी पत्नी दयाराम जाति अहीर निवासी सरबिन्दपूरा तहसील बहरोड़।
3. संतोष पुत्री दयाराम जाति अहीर,
4. विजय पुत्र अशोक पौत्र दयाराम जाति अहीर,
5. एकता पुत्री अशोक पौत्री दयाराम जाति अहीर,
6. अन्जू पुत्री अशोक पौत्री दयाराम जाति अहीर,
7. बिमला देवी पत्नी अशोक पुत्र वधु दयाराम जाति अहीर, निवासी सरबिन्दपुरा तहसील बहरोड जायज वारिसान प्रतिवादी सं02 लगायत 6 मृतक रेशमी पुत्री श्योदयाल जाति अहीर निवासी हमीन्दपूर तहसील बहरोड़।
8. उप पंजीयक, बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़, जिला–कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

......प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. काश्तकारी अधि.</u>

<u>डिक्री विभाजन कृषि भूमि एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी</u>

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता प्रतिवादी।
3. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी।

–: प्रारभिक पर्चा डिक्री :–

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश की गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद पत्र प्रारभिक रूप से डिक्री किया जाता है। आराजी हाल आराजी खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.22 वाके ग्राम हमीन्दपुर तहसील बहरोड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से उपरोक्त आराजी को तकसीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वह सह खातेदारो के हिस्सा अनुसार आराजी को तकसीम कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करे तथा राजस्थान टिनेंसी नियमो के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ मौके पर जाकर विवादित आराजी का कुर्रे कायम कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में आगामी दिनांक 17.06.2025 से पूर्व प्रस्तुत करे। तहसीलदार बहरोड को पालना हेतु आदेश जारी हो।

आज दिनांक 22.04.2025 को यह प्रारभिक निर्णय मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (...)